न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 844 / 2012</u> संस्थापित दिनांक 30 / 10 / 2012

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

> > अभियोजन

बनाम

 महेन्द्र सिंह पुत्र जगतसिंह गुर्जर उम्र 70 वर्ष निवासी- ग्राम खेरिया वान थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 294, 323, एवं 506 भाग—2 भा0द0सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री पुष्पराज गुर्जर)

<u>::— नि र्ण य —::</u> <u>(आज दिनांक 29.05.2018 को घोषित किया)</u>

आरोपी पर दिनांक 21.10.2012 को दिन के करीबन 03:00 बजे ढाडे वाले खेत मौजा खेरियावान में सार्वजिनक स्थल पर फरियादी दशरथ सिंह को मां बहन को अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित करने, फरियादी दशरथ को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी दशरथ की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 294,506 भाग—2 एवं 323 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.2012 को दिन के करीबन तीन बजे आरोपी नरेन्द्र एवं औतार ने फरियादी दशरथ के दाढे वाले खेत में पानी भर दिया था फरियादी ने आरोपीगण से इस बारे में कहा था तो आरोपी महेन्द्र एवं औतार उसे मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे थे उसने आरोपीगण से गालियां देने से मना किया था तो आरोपी औतार ने उसकी मारपीट की थी तथा महेन्द्र ने उसकी पीट एवं छाती में लाढी मारी थी, मौके पर भगवानदास एवं पवन मौजूद थे जिन्होंने बीच बचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मौ में अपराध क0 22/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

2 आपराधिक प्रकरण कमांक 844/2012

- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 4. द०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.10.2012 को दिन के करीबन तीन बजे ढाडे वाले खेत मौजा खेरियावान में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी दशरथ सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसें व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
 - 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी दशरथ सिंह को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
 - 3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी दशरथ सिंह की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी भगवानदास अ०सा० 1, डॉ० आर० विमलेश अ०सा० 2 एवं पवन अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3

- 7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी भगवानदास अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष व्यक्त किया है कि वह आरोपी महेन्द्र को नहीं जानता है। फरियादी दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, उसे हाटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी पवन अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने फरियादी दशरथ को गालियां दी थी, उसकी मारपीट की थी एवं उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
- 9. डा० आर० विमलेश अ०सा० २ ने आहत दशरथ की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० २ को प्रमाणित किया है।

- 3
- तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी दशरथ की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है। शेष साक्षी भगवान दास अ०सा० 1 एवं पवन अ०सा० 3 द्वारा जिन्हें अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं ध ाटना की जानकारी न होना बताया है, उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी दशरथ को मां बहन की गांलियां दी थी, उसकी मारपीट की थी और उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
- इस प्रकार साक्षी भगवानदास अ०सा० 1 एवं पवन अ०सा० 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा फरियादी दशरथ की मारपीट करने से इंकार किया गया है। डॉं० आरं० विमलेश अं०सां० २ द्वारा फरियादी दशरथ की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पीं० २ को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षी की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।
- उपरोक्त चरणो में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी 13. दशरथ की मृत्यू हो जाने के कारण उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है, शेष साक्षी भगवानदास अ०सा० 1 एवं पवन अ०सा० 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। डॉ0 आर0 विमलेश अ0सा0 2 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तृत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी दशरथ सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां दी थी. उसे जान से मारने की धमकी दी थी एवं उसकी लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। 🧷
- यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करें। यदि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।
- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 21.10.2012 को दिन के करीबन 03:00 बजे ढाडे वाले खेत मौजा खेरियावान में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी दशरथ सिंह को मां बहन को अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया, फरियादी दशरथ को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित कियो एवं उसी समय फरियादी दशरथ की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छ्या उपहति कारित की। फलतः यह

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 844/2012

न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी महेन्द्र सिंह को भा0दं०सं० की धारा 294,506 भाग–2 एवं 323 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

16. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

17. प्रकरण में आरोपी औतार फरार है अतः प्रकरण का अभिलेख एवं जप्तशुदा सम्पत्ति सुरक्षित रखी जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 29/05/2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

